उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 27 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"27 क	श्री एच. हनुमनथप्पा, एम.पी. एच. 12, मीना बाग, नई दिल्ली-110011	अधिनियम की धारा 4(3) (जे.) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्देशित"।

[एफ.सं. 25012/11/88-सिल्क]

विवेक कुमार अग्निहोत्री, विकास आयुक्त हथकरघा एवं संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, 25th August, 1988

S. O. 810 (E):- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Textiles No. S. O. 747 (E) dated 9th August, 1988:-

In the said notification, after serial No. 27 and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"27A	Shri H. Hanumanthappa, MP H-12 Meena Bagh, New Delhi. 110011.	Nominated by the Central Government under section 4(3) (j) of the Act".

[F. No. 25012/11/88-Silk]

V. K. AGNIHOTRI, Development Commissioner Handlooms and Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 434] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 1988/भाद्रपद 7, 1910
No. 434] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 1988/BHADRA 7, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1988

अधिसूचनाएं

का.आ. 811 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 के साथ पठित धारा 21 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (वित्तीय कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 143(अ), तारीख 4 फरवरी, 1988 को अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पचास पैसे, पच्चीस पैसे और दस पैसे के (जिनमें 82 प्रतिशत लोहा और 18 प्रतिशत क्रोमियम होगा) सिक्कों का निर्माण (फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों का मानक वजन और उपचार) नियम, 1988 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनिर्दिष्ट मूल्य वर्ग के सिक्कों का मानक वजन और अनुज्ञात उपचार :—सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 के अधीन नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्गों में जारी किए जाने वाले फेरिटिक स्टेनलेस स्टील सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों के ढालने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो उक्त सारणी के क्रमशः स्तम्भ (2) और (3) में तदनुरूप प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है।